न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–प्रियंका तलानिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः–59/2020

गोविन्दराम पुत्र राजाराम जाति बैरागी उम्र 28 वर्ष निवासी वार्ड नं.–8 बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

–––– प्रार्थीगण

बनाम्

1. मनफुलराम पुत्र सुरजाराम जाति बैरागी उम्र 78 वर्ष निवासी वार्ड नं.–8 बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
2. उप पंजीयक, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

––––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

अधिवक्तागण–

1. श्री चरणजीतसिंह एडवोकेट – प्रार्थी की ओर से
2. श्री दिनेश कुमार एडवोकेट – अप्रार्थी सं.–01 की ओर से

:: निर्णय:: **दिनांक 27.12.22**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. का प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि वाके चक–2 यूडीएम तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं. –4 पत्थर सं.–260/408 का किला नं.–20/2 का 0.203, 21/2 का 0.063 कुल 0.266 हैक्टर व मुरब्बा नं.–6 पत्थर नं.–261/409 का किला नं.–1/2 का 0.228, 2ता9 प्रत्येक का 0.253, 10/2 का 0.228,11/2 का 0.228,12ता15,17ता19 प्रत्येक का 0.253, 20/2 का 0.228, 21/2 का 0.228, 22/2 का 0.228, 23 का 0.089 हैक्टर कुल 4.769 हैक्टर व मुरब्बा नं.–23 पत्थर नं. –261/410 का 1/1 का 0.228 कमाण्ड,1/2 का 0.025 खाला, 2/1 का 0.089 कमाण्ड, 2/2 का 0.025 खाला, 10 का 0.164 हैक्टर कुल 0.521 हैक्टर कमाण्ड मय खाला इस प्रकार कुल तादादी 5.566 हैक्टर कमाण्ड मय खाला कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–01 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त रूप से खातेदारी दर्ज है। जिसमें अप्रार्थी सं.–01 का 1/6 हिस्सा दर्ज है। जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र है। उक्त कृषि भूमि में दर्ज अप्रार्थी सं.–01 के 1/6 हिस्सा को आयंदा वादपत्र मे विवादित कृषि भूमि कहा जाऐगा। अप्रार्थी सं.–1 प्रार्थी का दादा लगता है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.–01 संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य है तथा उक्त विवादित कृषि भूमि जो कि प्रार्थी के दादा अप्रार्थी सं.–01 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी के पड़दादा सुरजाराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। प्रार्थी के पडदादा सुरजाराम के देहान्त उपरांत उनके नाम की उक्त कृषि भूमि स्व. सुरजाराम के 6 पुत्रों कानाराम, बनवारीलाल, मनफुल (प्रार्थी के दादा), मनीराम, रामकिशन व शिवभगवान के नाम से बहिस्सा बराबर विरास्तन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। इस प्रकार अप्रार्थी सं.–1 के नाम की उक्त विवादित कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू खानदान की अविभाजित पैतृक सम्पति है जो कि सहदायिक सम्पति है। जिसमें प्रार्थी का जन्म से ही हित निहित है फलस्वरूप प्रार्थी विवादित कृषि भूमि का सहदायी है। अप्रार्थी सं.–1 की चार संतान राजाराम(प्रार्थी का पिता), रामस्वरूप, भगवानी देवी व विद्यादेवी है। प्रार्थी अप्रार्थी सं.–1 के पुत्र राजाराम की संतान है तथा अप्रार्थी सं.–01 प्रार्थी का दादा लगता है। विवादित भूमि जो कि सहदायिक सम्पति है, फलस्वरूप उक्त विवादित कृषि भूमि में प्रार्थी का जन्म से ही हित निहित है, जो शुरू से ही प्रार्थी के अप्रार्थी सं.–01 के साथ

संयुक्त अधिकार एवं अधिपत्य में चली आ रही है तथा उक्त विवादित कृषि भूमि की आमदन से प्रार्थी व अप्रार्थी सं.–01 व परिवार के अन्य सदस्य अपना जीवन निर्वाह करते आ रहे है। जिसमें वादी को अपने पिता राजाराम के अधिकार के तहत 1/4 हिस्सा बनती है जो प्रार्थी के संयुक्त अधिकार एवं अधिपत्य की कृषि भूमि है। अप्रार्थी सं.–01 के द्वारा विवादित कृषि भूमि में पारिवारिक मौखिक समझौता/ बंटवारा के तहत 1/4 हिस्सा भूमि प्रार्थी को प्रदत की जा चुकी थी और इसी अनुरूप प्रार्थी का अधिकार एवं अधिपत्य चला आ रहा है तथा विवादित भूमि में प्रार्थी के समस्त प्रकार के हक अधिकार निहित हो चुके है। अप्रार्थी सं.–01 विवादित भूमि में प्रार्थी को उसके हक व अधिकारों से वंचित करने के प्रयासरत है जिस संबंध में अप्रार्थी सं.–01 ने अर्सा 3 दिन पूर्व यह स्पष्ट धमकी भी दी है कि वह प्रार्थी को कोई हिस्सा नही देगा बल्कि जमीन रिकॉर्ड में उसके नाम बोल रही है इसलिए वह अपनी समस्त भूमि को शीध्र ही अन्यत्र बेचान, रहन कर देगा। जबकि उक्त विवादित भूमि ही अब एक मात्र संयुक्त परिवार की आजीविका निर्वाह का साधन है अगर उक्त कृषि भूमि का बेचान कर दिया जो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी सं.–1 की तरफ से अधिवक्ता श्री दिनेश कामरा ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि संयुक्त खातेदार के रूप में अप्रार्थी सं.–01 का 1/6 हिस्सा दर्ज होना स्वीकार है। यद्यपि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.–01 आपस मे दादा पोता लगते है परन्तु दोनों संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य नही है बल्कि प्रार्थी एवं उसका पिता वर्षो से अप्रार्थी सं.–01 से अलग रह रहे है। अप्रार्थी सं.–1 के नाम से उपरोक्त कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त विवादित कृषि भूमि में अप्रार्थी सं.–01 का 1/6 हिस्सा बतौर खातेदार दर्ज है उक्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिकी सम्पति नही है बल्कि यह अप्रार्थी सं.–1 की स्वयं की भूमि है जिसमें अप्रार्थी सं.–01 को सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी का इस भूमि में कोई अधिकार नही है। अप्रार्थी सं.–01 की चार संताने राजाराम, रामस्वरूप, भगवानी देवी व विद्यादेवी होना एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.–01 के पुत्र राजाराम के संतान होना इस प्रकार प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.–01 का दादा पोता होना स्वीकार है शेष तथ्य गलत बयानी के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी का पिता राजाराम आज भी जीवित है। प्रार्थी के पिता क, प्रार्थी के अलावा दो लड़कीया जीवित संतानें है। प्रार्थी का उपरोक्त भूमि में कोई अधिकार, अधिपत्य नही है। वादी ने कभी भी अप्रार्थी सं.–01 से हिस्से की कोई मांग नही की चूंकि प्रार्थी जानता था कि वादग्रस्त भूमि में उसका कोई हक नही है। यह सही तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं उसका पिता मुझ अप्रार्थी सं. –01 से अलग निवास करते है। मुझ अप्रार्थी को अपने ईलाज हेतु एवं अपने दैनिक जीवन को चलाने हेतु रूपयों की आवश्यकता थी। प्रार्थी एवं अन्य परिवारजन द्वारा अप्रार्थी सं.–01 की उपरोक्त आवश्यकता की पूर्ति नही करने के कारण मुझ अप्रार्थी सं.–1 ने विजेन्द्र कुमार पुत्र रामकिशन, दीनदयाल पुत्र रामप्रताप, अमरचंद पुत्र कानाराम, राधाकृष्ण पुत्र मनीराम जाति स्वामी निवासी बशीर से समय समय पर अपनी आवश्यकता अनुसार ऋण लिया तत्पश्चात उपरोक्त ऋण की अदायगी हेतु मुझ अप्रार्थी सं.–01 द्वारा यह वाद प्रस्तुत करने से पूर्व ही सभी पारिवारिक सदस्यों की सहमति से अपने हिस्से की उपरोक्त कृषि भूमि को जरिए रजि. बैयनामा दिनांक–12.10.2020 मुस्समी विजेन्द्र कुमार पुत्र रामकिशन, दीनदयाल पुत्र रामप्रताप, अमरचंद पुत्र कानाराम, राधाकृष्ण पुत्र मनीराम जाति स्वामी निवासी बशीर को पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर बेचान कर दी। प्रार्थी को भी इस बात का अच्छी तरह से ज्ञान था कि मुझ अप्रार्थी सं.–01 द्वारा वादग्रस्त भूमि जरिए रजि. बैयनामा विक्रय की जा चुकी है परन्तु प्रार्थी ने जानबुझ कर न्यायालय से सही तथ्यों को छुपाते हुए झुठे तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

अतिरिक्त कथन में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी सं.–1 के स्वयं की कृषि भूमि थी जिसके संबंध में अप्रार्थी सं.–1 को सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त थे। अप्रार्थी सं.–1 द्वारा वादग्रस्त भूमि उन्हीं अधिकारों के तहत यह वाद प्रस्तुत होने से पूर्व ही जरिए रजि. बैयनामा बेचान की जा चुकी है। इस कारण जब तक रजि. बैयनामा सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नही होता है तब तक वाद प्रार्थी चलने योग्य नही है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी सं.–1, हम प्रार्थीगण का दादा लगता है तथा

प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं 1 संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य है तथा उक्त विवादित कृषि भूमि जो कि प्रार्थी के दादा अप्रार्थी सं. 01 के नाम से रिकार्ड मे दर्ज है। इस प्रकार उक्त विवादित कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू खानदान की अविभाजित पैतृक सम्पति है जो सहदायिक सम्पति है। जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से ही हित निहित हैं तथा प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी मौखिक बहस में मुख्य रूप से अपने जवाब प्रार्थना पत्र में दर्ज अभिवचनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया कि उक्त विवादित कृषि भूमि में अप्रार्थी सं.–01 का 1/6 हिस्सा बतौर खातेदार दर्ज है उक्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिकी सम्पति नही है बल्कि यह अप्रार्थी सं.–1 की स्वयं की भूमि है जिसमें अप्रार्थी सं.–01 को सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी का इस भूमि में कोई अधिकार नही है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त करने का निवेदन किया।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का सुक्ष्मता से अवलोकन किया। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। प्रार्थी के विद्धवान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया।

धारा 212 आर.टी.ए. के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये हमारे समक्ष तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से है–

1. प्रथम दृष्टया प्रकरण:–प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि अप्रार्थी सं.–1 हम प्रार्थीगण का दादा लगता है तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं–1 संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य है तथा उक्त विवादित कृषि भूमि जो कि प्रार्थी के दादा अप्रार्थी सं.–1 के नाम से रिकॉर्ड में दर्ज है। इस प्रकार उक्त विवादित कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू खानदान की अविभाजित पैतृक सम्पति है जो सहदायिक सम्पति है। जिसमें प्रार्थी का जन्म से ही हित निहित है। अप्रार्थी संख्या–1 उक्त कृषि भूमि को खुर्दबुर्द करने पर उतारू है। जबकि जवाब में अप्रार्थी संख्या 01 का कथन है कि उक्त विवादित कृषि भूमि में अप्रार्थी सं.–01 का 1/6 हिस्सा बतौर खातेदार दर्ज है उक्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिकी सम्पति नही है बल्कि यह अप्रार्थी सं.–1 की स्वयं की भूमि है जिसमें अप्रार्थी सं.–01 को सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त है। विवादित सम्पति उसकी स्वयं अर्जित कृषि भूमि है। अतः प्रथम दृष्ट्या यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी सं.–01 को यह विवादित कृषि भूमि उसके पिता से प्राप्त हुई है विवादित भूमि संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार की सम्पति है जिसमें प्रार्थी का हक व अधिकार जन्म से ही निहित है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में होकर अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध है।

2. सुविधा का संतुलन:–जहाँ तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित है। अगर अप्रार्थी संख्या–01 दौराने वाद उक्त कृषि भूमि को बेचान कर अन्यत्र खुर्द बुर्द कर देता है तो इसे प्रार्थी के हितों पर विपरीत प्रभाव पडेगा तथा प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पडेगा। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में पक्ष में साबित/सिद्ध होता है न की अप्रार्थी सं.–01 के पक्ष में।

3. अपूर्णीय क्षति:–जहॉ तक अपूर्णनीय क्षति का प्रश्न है। अगर अप्रार्थी संख्या–01 दौराने वाद उक्त कृषि भूमि को बेचान कर अन्यत्र खुर्द बुर्द कर देता है तो इसे प्रार्थी के हितों पर विपरीत प्रभाव पडेगा जिससे प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना रहेगी। ऐसी स्थिति में अगर प्रार्थी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नहीं की जाती है तो प्रार्थी अपने अधिकार, हित एवं कानूनी अधिकारों से वंचित हो जाऐगें। जिससे प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति कारित होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध है।

::आदेश::

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में तय किये गये है इस आधार पर प्रार्थी न्यायालय से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा अप्रार्थी सं. –01 के विरूद्ध पारित की जाती है कि विवादित कृषि भूमि चक–2 यूडीएम तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.–4 पत्थर सं.–260/408 का किला नं.–20/2 का 0.203, 21/2 का 0.063 कुल 0.266 हैक्टर व मुरब्बा नं.–6 पत्थर नं.–261/409 का किला नं.–1/2 का 0.228, 2ता9 प्रत्येक का 0.253, 10/2 का 0.228,11/2 का 0.228,12ता15,17ता19 प्रत्येक का 0.253, 20/2 का 0.228, 21/2 का 0.228, 22/2 का 0.228, 23 का 0.089 हैक्टर कुल 4.769 हैक्टर व मुरब्बा नं. –23 पत्थर नं.–261/410 का 1/1 का 0.228 कमाण्ड,1/2 का 0.025 खाला, 2/1 का 0.089 कमाण्ड, 2/2 का 0.025 खाला, 10 का 0.164 हैक्टर कुल 0.521 हैक्टर कमाण्ड मय खाला इस प्रकार कुल तादादी 5.566 हैक्टर कमाण्ड मय खाला कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–01 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। उक्त हिस्से में से अप्रार्थी सं.–01, प्रार्थी के हिस्सा तक का बेचान एवं हस्तांतरण करने से वर्जित रहेगा। उक्त विवादित कृषि भूमि पर पूर्व में प्राप्त हो रही बैंक ऋण सुविधा एवं अन्य सरकारी सुविधाओं पर कोई विपरित प्रभाव नहीं होगा।

निर्णय आज दिनांक **27.12.2022** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़